फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

रमणदीप पुत्र श्री राधेश्याम निवासी वार्ड संख्या 14, न्या व्हाईट हाउस, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

बनाम

प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

किस्म मुकदमा : 90–ए(9) भू–राजस्व अधिनियम

अपील संख्या....5...../2023

GCMS No. 2023/..........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.3.2023	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। यह अपील सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 15.12.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। प्रथमतः अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अभिभाषक अपीलांट श्री राजेन्द्र सिंह शिमला की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अवगत कराया कि अपीलांट की क्रयशुदा खातेदारी भूमि चक 1 डी. छोटी के मुरब्बा नंबर 41 के किला संख्या 23/2 में तादादी 0.0766 हैक्टेयर, किला संख्या 24 में तादादी 0.253 हैक्टेयर, किला संख्या 25 में 0.253 हैक्टेयर कुल 0.5826 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार हैं। उक्त भूमि को व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू–परिवर्तन करवाने हेतु भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–ए के तहत आवेदन किया। जिसकी समस्त प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात् नगर विकास न्यास द्वारा दिनांक 21.11.2022 को अपीलांट की उक्त कृषि भूमि का व्यवसायिक संपरिवर्तन का आदेश जारी कर दिया। उक्त पट्टा कार्यालय उप पंजीयक श्रीगंगानगर के यहां विधिवत रूप से पंजीबद्ध हैं। सचिव, नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर ने प्रार्थी को बिना सुनवाई का व अपना पक्ष रखने का न्यायोचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलांट के पक्ष में जारी किये पट्टें के संपरिवर्तन के आदेश दिनांक 21.11.2022 को दिनांक 15.12.2022 को निरस्त कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने के कारण प्रारंभ से ही शून्य प्रभावी आदेश है। भूमि की किस्म परिवर्तन के जो आदेश पारित किये गये, वे कुछ शर्तों के अधीन जारी किये गये थे, यदि उन शर्तों का प्रार्थी द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो पट्टा जारी करने वाली प्राधिकारी उक्त	

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पट्टे को निरस्त कर सकता है, परंतु अपीलांट द्वारा ऐसा कोई कृत्य नही किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश दिनांक 15.12.2022 निरस्त फरमाया जावे।

हमने अपील पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अभिभाषक अपीलांट की बहस एवं अपील मीमों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2022 पूर्ण विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया गया हैं जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.12.2022 निरस्त किया जाता हैं।

तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.03.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर